पत्रिका

पत्रिका ने लगातार उठाया था मुद्दा

घटिया इंजेक्शन की सप्लाई, डिवाइन लेबोरेटरी वड़ोदरा पर हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार जुर्माना

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर @ पत्रिका. हाई कोर्ट ने डिवाइन लेबोरेटरी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। यह कार्रवाई घटिया हिपेरिन इंजेक्शन की सप्लाई पर की गई हैं।

इंजेक्शन को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्टेड करने पर कंपनी ने सीजीएमएससी के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने जुर्माना लगाया हैं।

'पत्रिका' ने यह मामला लगातार उठाया था। दरअसल हिपेरिन इंजेक्शन गाढ़े खून को पतला करने के लिए लगाया जाता हैं। ओपन हार्ट सर्जरी व एंजियोप्लास्टी के दौरान इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता हैं। कंपनी ने इतना घटिया इंजेक्शन बनाया कि खून पतला ही नहीं हो रहा था। इससे हार्ट पेशेंटों पर खतरा बढ़ गया था। कार्डियोलॉजी व कार्डियक सर्जरी विभाग ने प्रबंधन को पत्र लिखकर इंजेक्शन को घटिया बतया था। एंजियोप्लाटी प्रोसीजर के दौरान खून के थक्के जम रहे थे, जिससे मरीजों की जान पर खतरा बन रहा था। ऐसे में दोनों ही विभाग डिवाइन कंपनी के इंजेक्शन के बजाय बाजार से इंजेक्शन मंगवाकर मरीजों को लगा रहे थे। ये इंजेक्शन लगाने से गाढ़ा खून या थक्का घुल रहा था। इससे साबित होता हैं कि हिपेरिन इंजेक्शन घटिया था। पत्रिका के लगातार मामला उठाने के बाद ही सीजीएमएससी ने ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की हैं। सीजीएमएससी की एमडी पद्मिनी भोई साहू के अनुसार इस इंजेक्शन की क्वालिटी घटिया होने की गंभीर शिकायतें रायपुर व अंबिकापुर के अस्पतालों से मिली थीं। मरीजों की जान बचाने के लिए दवा व इंजेक्शन की क्वालिटी पर विशेष फोकस रहता हैं। इसलिए किसी भी शिकायत के बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाती हैं।

23/07/2025 | Raipur City | Page : 2
Source : https://epaper.patrika.com/